



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 1477

भोपाल, दिनांक 04-12-2024

आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छात्रावास में सीमित स्थान होने के कारण छात्रावास में प्रवेश (बालक/बालिका) के नियम एवं प्रावधान की कंडिका 1 के अनुसार - विश्वविद्यालय छात्रावास में प्रवेश स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय) को केवल 2 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को केवल 1 वर्ष के लिए होगा।

अतः स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को इस अवधि (जून माह परीक्षा उपरांत) के पश्चात छात्रावास को पूर्णतः खाली करना अनिवार्य होगा।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 04-12-2024

पु. क्र./अका./ 2024/
प्रतिलिपि - 1478

1. निज सहायक, कुलगुरु / कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. चीफ वार्डन कन्या छात्रावास / वार्डन बालक छात्रावास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
5. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव